न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर
जी0आर0-469/2007
सी0आई0एस0-469/2007
टी0आर0-4764/2025
खुटौना (लौकहा) थाना कांड सं0-82/2007

20.05.2026 प्रस्तुत वाद के कुल दो अभियुक्त रामू चौधरी एवं सोनावती देवी की मृत्यु हो जाने से संबंधित प्रतिवेदन धारा 83 द0प्र0सं0 के तामिला के साथ थानाध्यक्ष खुटौना थाना द्वारा उनके ग्राम पंचायत राज एकहत्था के मुखिया द्वारा निर्गत मृत्यु संबंधित प्रमाण पत्र के साथ ज्ञापांक 824/2026 दिनांक 20.05.2026 के माध्यम से समर्पित किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि रामू चौधरी की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा सोनावती देवी की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है की प्रस्तुत में उपरोक्त दो अभियुक्त रामू चौधरी एवं सोनावती देवी के विरूद्ध ही प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा आरोप पत्र भी इन्हीं के विरूद्ध समर्पित किया गया है न्यायालय द्वारा इनकीं के विरूद्ध संज्ञान भी किया गया है। इनके मृत्यु हो जाने से संबंधित तामिला प्रतिवेदन भी अभिलेख पर है। अतः अभियुक्त रामू चौधरी एवं सोनावती देवी विरूद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाई समाप्त किया जाता है। वाद के कुल दो अभियुक्त की मृत्यु हो जाने तथा उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाई समाप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद को **निस्पादित** किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(श्री नयन कुमार)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर

Scanned with CamScanner